न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/113 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 12.07.2023**

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
   मृतक जर्ये कायम मुकामान –
   1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
3. चम्पोबाई पुत्री बालमुकन्द, आयु 63 वर्ष, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/112 (अंतिम डिक्री) **दायरा दिनांक : 12.07.2023**

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
   मृतक जर्ये कायम मुकामान –
   1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
3. चम्पोबाई पुत्री बालमुकन्द, आयु 63 वर्ष, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.04.2026**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 35/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम महोदरा, पटवार क्षेत्र महोदरा, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 267 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 274 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 275 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 510/8 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 629/917 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 695/973 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कुण्डई, पटवार हल्का समरानियां, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 43/17 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 पारित की गई व विभाजन प्रस्ताव पर बिना अपीलांटगण को सुनवाई का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवसर प्रदान किये विभाजन प्रस्ताव सूचना दिये बिना तैयार किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित की गई है जो काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद रेस्पो० क्रम 1/वादी राधेश्याम द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि उसके खातेदारी एवं स्वामित्व की ग्राम महोदरा कुल आराजियात 6 किता कुल रकबा 31.14 बीघा मे 1/4 हिस्सा व ग्राम कुण्डई पटवार हल्का समरानियां की आराजी खसरा नं. 43/2017 रकबा 11.04 बीघा मे 1/4 हिस्सा निहित है किन्तु राधेश्याम द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया कि हिन्दू संयुक्त परिवार मे जमीन क्रय कर उसके नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई उस तथ्य को छिपाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आराजी मे बालमुकन्दजी द्वारा आपसी सहमति से बंटवारे के अनुसार अपीलांटगण/प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 को प्राप्त हुई इस प्रकार वादी/रेस्पो. क्रम 1 राधेश्याम द्वारा वादपत्र मे मौके पर दखल व कब्जा देने का निवेदन किया गया है किन्तु वादपत्र मे धारा 183 आर.टी.एक्ट अंकित नहीं की गई है इस प्रकार बिना धारा 183 की सहायता मांगे मौके पर कब्जा व दखल नहीं दिया जा सकता तथा वादी/रेस्पो० क्रम 1 राधेश्याम द्वारा इस तथ्य का भी अंकन नहीं किया गया कि किससे कब्जा प्राप्त करना व किसे बेदखल करना है कहीं भी अपने वाद पत्र मे अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री मे अंकन किया गया है कि ग्राम महोदरा की आराजी खसरा नं. 267 रकबा 5.12 बीघा, खसरा नं. 274 रकबा 16.05 बीघा, खसरा नं. 275 रकबा 2.11 बीघा, खसरा नं. 510/8 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नं. 629/917 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं0 695/973 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 31.14 बीघा मे हिस्सा 1/4 तथा ग्राम कुण्डई, पटवार हल्का समरानियां की आराजी खसरा नं. 43/17 रकबा 11.04 बीघा मे हिस्सा 1/4 निहित है को वादी के नाम खाता दर्ज कर पृथक कर नक्शे मे तरमीम किया जावे तथा मौके पर इसी अनुसार वादी को दखल दिया जावे लेकिन इस तथ्य का कहीं अंकित नहीं किया गया कि किसे बेदखल कर किसे कब्जा दिया जावे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करने मे विधिक त्रुटि की है इसलिये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विभाजन प्रस्ताव के समय समस्त सहखातेदारान को सूचना दी जावेगी व मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावेगा व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर पक्षकारान को विधिवत रूप से सुना जावेगा इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगाने मे व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उस पर विधि सम्मत रूप से अपीलांटगण को बिना सुनवाई किये पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद की निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 प्रकरण सं० 35/2019 बउनवान राधेश्याम बनाम नाथूलाल निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करने को जाने पर हुई जिसके दो माह 10 अप्रैल से लेकर दिनांक 13.06.2023 तक हडताल हाने के कारण नकल प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 15.06.2023 को नकल के लिए आवेदन कर नकल प्राप्त की गई। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और तलबी भी नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण रिमाण्ड किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 राधेश्याम द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद में आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 31.14 बीघा स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद में खसरा नं. 43/17 रकबा 11.04 बीघा विवादित आराजी स्थित है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजियात ग्राम महोदरा व कुण्डई में वादी का विरासतन 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण एकमत है जो वादी को विवादित आराजियात में निहित हिस्सा आराजी 1/4 पर काश्त नही करने देते है और येन केन प्रकार से वादी का विवादित हिस्सा आराजी को हडपना चाहते है। अतः वादपत्र पेश कर प्रार्थना है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/4 का विभाजन कर पृथक से खाता दर्ज फरमाया जाये तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम कर वादी को मौके पर दखल व कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादीगणी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के विभाजन के प्राप्त हिस्सा आराजी 1/4 कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय अंता द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 से निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 31.14 बीघा मे से वादी हिस्सा 1/4 तथा इसी प्रकार ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 43/17 रकबा 11.04 बीघा में से वादी हिस्सा 1/4 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्वांत के आधारप र विभाजन किये जाने का निर्णय पारित किया गया। नायब तहसीलदार केलवाडा के पत्रांक 65 दिनांक 18.11.2021 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 से अंतिम डिक्री पारित करते हुए ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 267 रकबा 5.12 बीघा में से 1.08 बीघा–पूर्वी खसरा नं. 267/1, खसरा नं. 274 रकबा 16.05 बीघा में से 4.01 बीघा–पूर्वी खसरा नं. 274/1, खसरा नं. 275 रकबा 2.11 बीघा में से 0.13 बीघा–पूर्वी खसरा नं. 275/1, खसरा नं. 510/8 रकबा 6.06 बीघा में से 1.11 बीघा–पूर्वी खसरा नं. 510/8/1, खसरा नं. 695/973 रकबा 0.17 बीघा में से 0.04 बिस्वा–उत्तरी खसरा नं. 695/973 किता 5 रकबा कुल 7.17 बीघा तथा ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 43/17 रकबा 11.04 बीघा में से 2.16 बीघा–दक्षिणी खसरा नं. 43/17/1 को वादी के नाम पृथक से खाता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किया जावे और मौके पर इसी अनुसार वादी को दखल दिये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनंका 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से प्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 व 2 के द्वारा न्यायालय हाजा में पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की है।

(दीप्ति सत्यचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद प्रदर्श 1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 ग्राम कुण्डई, तहसील शाहबाद प्रदर्श 2 के अवलोकन अनुसार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी रेस्पोडेंट कम 1 राधेश्याम का 1/4 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में बाद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 में दर्ज वादी के 1/4 हिस्से अनुसार वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है तथा वादी राधेश्याम द्वारा इस तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है कि हिन्दू संयुक्त परिवार में जमीन क्रय कर उसके नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को खारिज किया जाये एवं प्रकरण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट बाद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि हिन्दू संयुक्त परिवार में जमीन क्रय कर वादी रेस्पोडेंट कम 1 के नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 में दर्ज वादी के 1/4 हिस्से के अनुसार ही अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार शाहबाद को आदेशित करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलांट ने कथन किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट को सूचना नहीं दी गई तथा दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन रहा है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई और अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को प्रेषित किया गया है जिस पर पटवारी, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.11.2021 से उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को प्रेषित करते हुए पत्र में यह अंकित किया है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी/आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर सादर पेश है। तहसीलदार के इस कथन से भी यही प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना का अभाव रहा है। अतः नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/113 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 यथावत रखी जाती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/112 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार शाहबाद को मौके पर भेजकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना कराते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करने के पश्चात पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.06.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक जर्ये कायम मुकामान –
   1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
   निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
3. चम्पोबाई पुत्री बालमुकन्द, आयु 63 वर्ष, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान

.... **अपीलांट**

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/113 (प्राथमिक डिकी)**
मु.द.नं0 **35/2019**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **29.01.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 03** सन् **2026**

श्री **ओ.पी.मेहता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **महेश प्रकाश गौतम** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/113 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 29.01.2021 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **10 माह 04 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)